न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 04 / 2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1श्रीमती केसर देवी बेवा रूपाराम 2सोहनलाल 3गुलाबचंद 4राजू पुत्रान स्व. रूपाराम जातियान माली भाटी निवासीगण मौहल्ला कक्कुवालों की पोल के पास, तहसील व जिला नागौर। 5श्रीमती जंवराई पुत्री स्व. रूपाराम पत्नी गुलाबचंद सांखला जाति माली सांखला निवासी राठौडीकुआं, नागौर। 6श्रीमती चंदा पुत्री रूपाराम पत्नी बाबूलाल जाति माली गहलोत निवासी बडली मौहल्ला, नागौर।		1नरेश पुत्र चेनाराम जाति माली भाटी निवासी कक्कुवालो की पोल के पास, नागौर। 2श्रीमती सुमन पुत्री रूपाराम पत्नी मनोहर जाति माली भाटी निवासी बाडी कुऑ मौहल्ला, नागौर। 3चेनाराम पुत्र स्व. रूपाराम जाति माली सांखला निवासी कक्कुवालों का मौहल्ला, नागौर। 4चेतनराम पुत्र स्व. रूपाराम जाति माली भाटी निवासी मौहल्ला कक्कुवालों की पोल के पास, नागौर। 5राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से।
3. श्री दीपक जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
4. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.09.18

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा वसीयतनामा के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 8 / 2015 सरकार बनाम नरेश में पारित आदेश दिनांक 24.09.2015 के तहत अपीलार्थीगण का फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 2088 वाके नागौर के खसरा नंबर 22 व 57 से संबंधित निर्णय दिनांक 24.08.15 को स्वीकृत नामान्तरकरण जिसे पुनरावलोकन कर दिनांक 24.09.15 को खारिज किया गया है, से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.01.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 21.01.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 नरेश व 3 चेनाराम की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुमन की ओर से दीपक जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 चेतनराम को रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र से सम्मन भिजवाया गया। मगर वो अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में म्यूटेशन संख्या 2088 दिनांक 24.08.15 को खारिज करने का आदेश दिनांक 24.09.15 के आदेश की फोटोप्रति, नामान्तरकरण संख्या 2088 दिनांक 24.08.15 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर के प्रार्थना पत्र सं. 95 / 11 गुलाबचंद बनाम रूपाराम निर्णय दिनांक 28.02.2014 की फोटोप्रति, मौजा नागौर के खतौनी की फोटोप्रति, खसरा पत्रक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर के प्रार्थना पत्र संख्या 110 / 11 रूपाराम बनाम गुलाबचंद के फर्द अहकाम दिनांक 15.07.2011 से दिनांक 04.10.2017 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर के प्रकरण संख्या 99 / 11 गुलाबचंद बनाम रूपाराम के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2011 से दिनांक 12.07.2016 तक की फोटोप्रति, राजस्व वाद संख्या 99 / 2011 गुलाबचंद बनाम रूपाराम की फोटोप्रति, वाद बाबत घोषणा खातेदारी की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के वाद संख्या 137 / 15 केसर बनाम नरेश में निर्णय दिनांक 05.08.16 की फोटोप्रति तथा डिक्री की फोटोप्रति पेश की।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि प्रत्यर्थी सं. 1 के रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 8/15 में किया गया आदेश दिनांक 24.09.15 प्रत्यर्थी संख्या 5 की सोची समझी साजिश है। उक्त तथाकथित आदेश प्रत्यर्थी संख्या 5 ने खुद के आदेश के विपरीत जाकर भरे जाने का कायदा नही है। अपीलार्थीगण के कथनों की रति भर परवाह न कर उस बाबत जांच न कर खुद के आदेश के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी संख्या 5 ने मिलावटी आदेश पारित करने की वजह से निरस्तनीय है। म्यूटेशन संख्या 2088 दिनांक 24.08.15 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 24.09.15 आरंभ से वोईड होने व अपीलार्थीगण के हितों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 05.10.15 की प्रति प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष पेश करते वक्त भी रिव्यू आदेश बाबत नही बताया और उजरदारी बाबत सुनवाई हेतु तारीख भी मुकर्रर नही की और न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया। उक्त आदेश केवल मिलावट कर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सुनियोजित तरीके से पारित किया हुआ है। जो अपील आदेश की जानकारी सूचना होते ही सलाह कर नकल आवेदन दिनांक 19.12.15 प्रस्तुत करने एवं दिनांक 30.12.15 को नकल मिलते ही अपील तैयार करवा कर अपील पेश की है। जो नकले जारी करने के बाद सलाह कर अविलंब बाद जानकारी अंदर मयाद अपील पेश की है।

प्रकरण में अपीलांट्स ने अपनी अपील के साथ मियाद हेतु प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधारों पर प्रतीत होता है तथा मियाद के बिन्दु पर प्रतिपक्ष द्वारा विरोध भी नही किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलार्थीगण के पति एवं पिता रूपाराम माली अपने पुत्र चेनाराम के नाजायज दबाव व अपराधिक कृत्य के डर में होने के कारण उनकी मानसिक स्थिति सही नही थी। जिस कारण तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 रूपाराम बहक नरेश जरिये वली माता लीलादेवी शुरू से ही अपीलार्थीगण के हितो के विपरीत होने से निरस्तनीय है और तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 रूपाराम बहक नरेश के आधार पर किया गया म्यूटेशन बाबत आदेश दिनांक 24.09.15 भी निरस्तनीय है।

{2}(II)–स्व. रूपाराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त अवैध एवं शून्य वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 रूपाराम बहक नरेश जरिये वली माता लीलादेवी की जानकारी होने पर अपने परिवारजन एवं रिश्तेदारों के सदस्यों के सामने दिनांक 27.07.15 को उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 रूपाराम बहक नरेश जरिये वली माता लीलादेवी को मौखिक रूप से अवैध एवं शून्य घोषित करने का एलान भी कर दिया था तथा जिस स्थिति में अर्थात स्व. रूपाराम को डरा धमका कर उनकी इच्छा के विरूद्व उक्त तथाकथित वसीयतनामा पंजीबद्व करवाया गया था। जिस तथ्य को स्व. रूपाराम ने सभी परिवारजन एवं रिश्तेदारों के सामने घोषणा के रूप में उस दिन कहा था। जिस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 एवं अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 की पत्नी लीलादेवी भी उपस्थित थी तथा उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 को उपरोक्त कारणोवश अवैध एवं शून्य माना जाने में उन्होने अपनी रजामंदी दी थी। जिस तथ्य को प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को अब मुकर्रने का कोई अधिकार नही है। बल्कि वे अपने द्वारा दिये गये अभिवचनों से पूर्ण रूप से पाबंद है। इस कारण भी उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 रूपाराम बहक नरेश प्रारंभतः ही अवैध एवं शून्य है।

{2}(III)–प्रत्यर्थी सं. 1 नरेश व उसके पिता प्रत्यर्थी सं. 3 चेनाराम को वसीयत रद्द की घोषणा दिनांक 27.07.15 को याद दिलाते हुए उक्त वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 को कानूनी रूप से निरस्त करवाने के लिये अपीलार्थीगण द्वारा बार बार निवेदन किया गया था। लेकिन प्रत्यर्थी सं. 1 व 3 ने उक्त वसीयतनामा कानूनी रूप से निरस्त करवाने से इंकार कर दिया। जिस पर अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 1 के नरेश के नाम कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 को निरस्त करवाये जाने का एक दीवानी वाद संख्या 135/15 व स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 903/15 (132/15) सिविल न्यायालय नागौर में पेश किया। जो जैर तज्जबीज लंबित है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 132/15(903/15) में अपीलार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित खेताय के फोतगी म्यूटेशन सं. 2088/ दिनांक 24.08.15 के अनुसार रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 05.10.15 को पारित किया गया था। जिस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तुरंत प्रभाव से दिनांक 07.10.15 को प्रत्यर्थी सं. 5 तहसीलदार नागौर को उनके यहां लम्बित रिव्यू प्रार्थना पत्र सं. 8/15 में पेश कर दिया था। उसके बावजूद भी तहसीलदार नागौर ने अपीलार्थीगण को बिना तारीख पेशी

अपर कलेक्टर, नागौर

अवगत करवाये एवं पक्षकारान की बिना शहादत लिये ही स्थगन आदेश के पूर्ववती तारीख पेशी 24.09.15 को पत्रावली पेशी पर ली जाकर जानबूझकर एवं भ्रष्ट तरीक से अपीलार्थीगण का फोतगी म्यूटेशन सं. 2088 दिनांक 24.08.15 को निरस्त कर कानूनी भूल की है। जबकि प्रत्यर्थी सं. 5 स्वयं तहसीलदार नागौर स्वयं ने ही उक्त फोतगी म्यूटेशन बाद जांच सही पाये जाने पर भरा जाकर अपीलार्थीगण को उक्त खेताय खसरा सं. 57 व 22 की जमाबंदी जारी की थी।

{2}(IV)–प्रत्यर्थी सं. 1 नरेश एवं उसके पिता प्रत्यर्थी सं. 3 चेनाराम ने बाद फोतगी म्यूटेशन सं. 2088 / दिनांक 24.08.15 के बावजूदन भी अपने कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 के आधार पर उक्त विवादित खेताय खसरा सं. 22 व 57 को अपने नाम म्यूटेशन किये जाने हेतु एवं अपीलार्थीगण के फोतगी म्यूटेशन सं. 2088 दिनांक 24.08.15 को निरस्त कराये जाने हेतु प्रत्यर्थी सं. 5 तहसीलदार नागौर के यहां एक रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.15 को पूर्ववर्ती दिनांक में पेश करवाया था। यह पूर्ववर्ती तारीख में उक्त प्रार्थना पत्र पेश करवाया जाना प्रत्यर्थी सं. 1 व 5 की रजामंदी व मिलावटी थी। जो रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 8/15 पर दर्ज हुआ था। इस रिव्यू प्रार्थना पत्र की उजरदारी अपीलार्थीगण को पता चलने पर दिनांक 21.9.15 को मय शपथपत्रों के पेश कर सुनवाई एवं शहादत के अवसर बाबत निवेदन किया था। उसके पश्चात अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी सं. 5 तहसीलदार नागौर ने उक्त रिव्यू प्रकरण की तारीख पेशी से कभी अवगत नही करवाया था। अपीलार्थीगण ने दिनांक 07.10.15 को विवादित खेताय खसरा सं. 22 व 57 मौजा नागौर के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का सिविल न्यायाधीश नागौर का अंतरिम आदेश दिनांक 05.10.15 का पेश किया था। लेकिन प्रत्यर्थी सं. 5 तहसीलदार नागौर ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपीलार्थीगण की उजरदारी मय दस्तावेज एवं सिविल न्याालय के अंतरिम आदेश दिनांक 05.10.15 को ताक में रखकर अपीलार्थीगण को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य लिये ही अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 05.10.15 की पूर्ववर्ती तारीख दिनांक 24.09.15 में रिव्यू प्रार्थना पत्र सं. 8/15 की पत्रावली में आदेश पारित कर प्रार्थी नरेश का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उजरदारान / अपीलार्थीगण का फोतगी म्यूटेशन सं. 2088 दिनांक 24.08.15 को निरस्त कर कानूनी गलती की है। जबकि प्रत्यर्थी सं. 5 तहसीलदार नागौर ने बाद जांच के अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 के पक्ष में फोतगी म्यूटेशन सं. 2088/24.8.15 निरस्त कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण के पति एवं पिता रूपाराम की फोत दिनांक 29.07.15 के तत्पश्चात अपीलार्थीगण विधिक वारीसान होने के कारण भी नामान्तरकरण सं. 2088 दिनांक 24.08.15 सही तरीके से संपूर्ण जांच कर भरा गया था। तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.4.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम के आधार पर भरा गया म्यूटेशन संख्या 1563 दिनांक 12.01.11 के निरस्त करवा कर अपना नाम प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के स्थान पर सभी वारिसान का विधिनुसार दर्ज करवाने के हक अधिकारी है।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में बताया गया कि

{3}(I)–खेत खसरा नंबर 57 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 22 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा मौजा नागौर स्व. रूपाराम की खातेदारी कब्जे काश्त के स्वअर्जित खेताय है। किसी भी प्रकार से पेतृक खेताय नही है। स्व. रूपाराम का देहान्त 29.07.15 को हुआ है। जिनके विधिक वारिस उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्रियां होने के तथ्य से विरोध नही है। परंतु उक्त खेताय रूपाराम की स्वअर्जित सम्पति व खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त के खेताय है तथा रहते आये है। ऐसी स्थिति में स्व. रूपाराम के जीवन काल में उनके विधिक वारिसान पत्नी, पुत्र व पुत्रियो का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा न तो बनता है व न ही निहित करता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का उक्त खेताय में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही करता है।

{3}(II)–विवादित भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि भूमि के संबंध में मिताक्षरा विधि एंव हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के उक्त बताये गये प्रावधान लागू नही होते है। क्योंकि कृषि भूमि की वास्तविक मालिक राजस्थान सरकार होती है तथा खातेदार के खातेदारी अधिकार निहित होते है। जिसके संबंध में उतराधिकार बाबत उक्त प्रावधान कृषि भूमि के संबंध में लागू नही होते है तथा विधि अनुसार खातेदार के देहान्त होने पर उसके उतराधिकारियों में खातेदारी अधिकार निहित होता है। अन्य कोई उतराधिकारी अधिकार खातेदार के जीवन काल में उसके वारिसान को प्राप्त नही होते है। इसलिये प्रथमतः तो उक्त भूमि पेतृक सम्पति नही है। ऐसी स्थिति में स्व. रूपाराम के जीवन काल में उनके विधिक वारिसान का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा निहित करता है। दोयम यदि पेतृक खेताय साबित भी होते है तो केवल मात्र खातेदारी अधिकार निहित होने के आधार

अपर कलक्टर, नागौर

पर रूपाराम के वारिसान का किसी भी प्रकार का खातेदारी अधिकार निहित नही करता है व न ही बनता है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का अधिकार नही है।

{3}(III)–स्व. रूपाराम ने अपने जीवनकाल में खसरा नंबर 57 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नं. 22 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा का एक वसीयतनामा अपने पोत्र नरेश के नाम दिनांक 31.03.14 को निष्पादित कर विधिवत रूप से उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पंजीबद्व करवाया है। उक्त वसीयतनामा के निष्पादन एवं पंजीयन के पश्चात करीब एक वर्ष चार माह तक स्व. रूपाराम पूर्णतया स्वस्थ हालत में जीवित रहे तथा उन्होने अपने जीवन काल में कभी उक्त वसीयतनामा को किसी भी न्यायालय में चुनोती नही व न ही कभी भी उक्त वसीयतनामा को निरस्त घोषित किया व न ही वसीयतनामा निरस्ती बाबत कोई लिखत निष्पादित की व न ही उक्त वसीयतनामा के पश्चात अन्य कोई वसीयतनामा निष्पादित ही किया है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयतनामा स्व. रूपाराम का अंतिम वसीयतनामा है। जो पूर्णतया वैध व प्रभावी एवं विधिवत रूप से निष्पादित एंव पंजीकृत वसीयतनामा है। जो विधिवत तरीके से उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पंजीबद्व हुआ है। उक्त वसीयतनामा स्व. रूपाराम ने अपने होश हवास मे व पूग्र तन्दुरूस्ती की हालत में निष्पादित व पंजीबद्व करवाया है। जो उनकी इच्छा से निष्पादित होकर पंजीबद्व करवाया गया है। वसीयतनामा पंजीयन हेतु पेश करने पर पंजीयन से पूर्व उपपंजीयक द्वारा विधिवत तरीके से वसीयतनामा स्व. रूपाराम को पढकर सुनाया गया व समझाया गया। जिन्होने निष्पादन करना स्वीकार करते हुए पंजीयन करने हेतु पेश करना व स्वयं द्वारा निष्पादन करना स्वीकार किया। तत्पश्चात ही उक्त वसीयतनामा का पंजीयन किया गया है। यदि वसीयतनामा रूपाराम पर नाजायज दबाब डालकर अथवा उनकी इच्छा के विरूद्व करवाया जाता तो उनके द्वारा पंजीयन के समय ही निष्पादन से इंकार किया जा सकता था। जो नही किया गया। साथ ही उन्होने अपने जीवन काल में वसीयत को चुनोती नही दी व निरस्त नही किया है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयतनामा पूर्णतया प्रभावी व वैध वसीयतनामा है। ऐसी स्थिति में इस संबंध में किसी भी प्रकार का कथन करने का अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नही है। इसलिये भी अपील निरस्तनीय है।

{3}(IV)–वसीयतनामा की अवैधता अथवा वैधता का निर्धारण करने का राजस्व न्यायालय या तहसीलदार को किसी भी प्रकार का अधिकार नही है। वसीयतनामा को केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है तथा वैधता व अवैधता का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो वसीयतनामा के संबंध में कथन किये गये है। वह कथन अपील में किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नही है। अपीलार्थीगण ने उक्त वसीयतनामा को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने हेतु एक दीवानी वाद सं. 135/15 व अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र सं. 132/15 न्याालय सिविल न्यायाधीश नागौर के यहॉ पेश किये थे। जो वाद व आवेदन पत्र न्याालय सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा निरस्त किये जा चुके है तथा वैध वसीयतनामा पूर्णतया वैध है तथा तथ्यों व विधिक गलती से स्व. रूपाराम के देहान्त होने पर उनका फोतगी नामान्तरकरण यदि उनके विधिक उतराधिकारीगण के नाम भी भी दिया गया है। जो तथ्यों एवं विधिक भूल के आधार पर भरा गया है। क्योकि स्व. रूपाराम ने अपने जीवन काल में ही विधिवत तरीके से वसीयतनामा निष्पादित कर पंजीबद्व करवा दिया था। जिसके संबंध में जानकारी होने पर तहसीलदार नागौर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्व में पारित आदेश जो तथ्यों व विधिक भूल से पारित किया गया है जिसको विधि अनुसार रिव्यू करते पूर्व आदेश को निरस्त किया गया है। अर्थात पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को खारिज करने का आदेश पारित किया है तथा वसीयत कर्ता के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई आदेश पारित नही किया है। क्योकि इस संबंध में जांच व सुनवायी लंबित है तथा वसीयत के अनुसार सुनवायी कर आदेश पारित किया जाना है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश रिव्यू का आदेश है। जिसके विरूद्व किसी भी प्रकार की अपील संधार्य नही है। उक्त आदेश के विरूद्व केवल मात्र उपचार राजस्व निगरानी है। जिसका क्षेत्राधिकार केवल राजस्व मण्डल को है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्व किसी भी प्रकार से अपील मेन्टेनेबेल नही होने से अपील निरस्तनीय है। तहसीलदार नागौर द्वारा विधिवत रूप से तथा पूर्ण रूप से सुनवायी कर आदेश पारित किया गया है। जो रिव्यू का आदेश है। जिसमें नामान्तरकरण स्वीकृति बाबत कोई आदेश पारित नही हुआ है तथा उक्त आदेश के विरूद्व केवल निगरानी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपील संधार्य नही होने से निरस्तनीय है।

{3}(V)–विवादित भूमि स्व. रूपाराम की स्वअर्जित सम्पति है। इसलिये उन्हे वसीयत करने का पूर्ण

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अधिकार है। भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक भूमि नही है। यदि किसी भी प्रकार से अपीलार्थीगण उक्त भूमि को पैतृक भूमि होना साबित भी कर दे (जिसे प्रत्यर्थीगण स्वीकार नही करते है व न ही पैतृक होना साबित है) तो भी चूंकि मिताक्षरा विधि व इस संबंध में दिये गये हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। जिस कारण से अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नही बनता है। इसलिये अपील गलत तथ्यों पर बिना अधिकार के पेश की होने से निरस्तनीय है।

{3}(VI)–अपीलार्थीगण ने कभी भी स्व. रूपाराम की सेवा चाकरी व देखभाल नही की है तथा अपीलार्थी सोहनलाल, गुलाबचंद व राजू ने रूपाराम के साथ हर समय दुर्व्यवहार व लडाई झगडा किया था। बिना वजह तंग व परेशान किया इसलिये स्व. रूपाराम ने अपने जीवन काल उक्त खेताय के संबंध में अपीलार्थीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें अपीलार्थीगण को स्व. रूपाराम के कब्जे काश्त में दखल नही करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया गया। जो राजस्व प्रार्थना संख्या 110/2011 विचाराधीन रहा है। साथ ही स्व. रूपाराम ने सोहनराम व उसकी पत्नी कंचन के विरूद्व घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली नागौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी। साथ ही अपीलार्थीगण ने स्व. रूपाराम के विरूद्व एक राजस्व भी पेश किया। जो सहायक कलक्टर नागौर में विचाराधीन है। जिसमें अपीलार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन भी खारिज किया गया। उक्त प्रकरण में रूपाराम द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होने उक्त भूमि का अपनी स्वअर्जित भूमि होना बताकर बख्शीश करने के तथ्य सन 2011 में अंकित किये है। जिसके आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर द्वारा भूमि स्व. रूपाराम की स्वअर्जित होना मानते हुए व उनके स्वामित्व की होना मानते हुए अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। उक्त सभी तथ्यों से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि भूमि स्व. रूपाराम की स्वअर्जित सम्पति रही तथा उन्होने विधिवत तरीके से साधिकार वसीयतनामा निष्पादित कर पंजीबद्व करवाया है। ऐसी स्थिति में अपील बिना अधिकार के गलत रूप से पेश की गई होने से निरस्तनीय है।

{4}–अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट्स की लिखित बहस का जवाब देते हुए बताया कि–

{4}(I)–वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त पैतृक खेताय मौजा नागौर में खसरा नंबर 57 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 22 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा कुल 37 बीघा 1 बिस्वा भूमि रही है। इस कारण प्रत्यर्थीगण का यह तथ्य गलत है कि उपरोक्त खेताय स्व. रूपाराम के स्व अर्जित सम्पति का भाग हो तथा पैतृक खेताय नही हो। जहां तक स्व रूपाराम का देहान्त 29.07.15 का होना सही है। परंतु स्व. रूपाराम के फौतगी प्रमाण पत्र संख्या 100212 दिनांक 14.08.15 नगर परिषद् नागौर के आधार पर उन के पैतृक खेताय नागौर के खसरा नंबर 22 के 29 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 57 के 2 बीघा 2 बिस्वा कुल 32 बीघा 5 बिस्वा फौतगी म्यूटेशन संख्या 2088 दिनांक 24.08.15 को प्रत्यर्थी संख्या 5 तहसीलदार नागौर स्वयं द्वारा बाद जांच भरा था। जिस कारण अपीलार्थीगण के नाम उक्त खेताय की जमाबंदी जारी की गई। इस कारण प्रत्यर्थीगगण का यह कथन माने जाने योग्य नही है कि उपरोक्त खेताय में अपीलार्थीगण का कोई हक हिस्सा या अधिकार नही हो। स्वयं अपीलार्थीगण को स्व. रूपाराम के विधिक उत्तराधिकारी होना प्रत्यर्थीगण स्वीकार करते है। उस के आधार पर भी वादग्रस्त खेताय में अपीलार्थीगण का हिस्सा होना स्वतः प्रमाणित है।

{4}(II)–प्रत्यर्थीगण का यह तथ्य माने जाने योग्य नही है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होने से हिन्दू उत्तराधिकार व मिताक्षरा विधि लागू नही होती है। एक तरफ वादग्रस्त भूमि को प्रत्यर्थीगण राज्य सरकार के मालिकाना हक की मानते है। दूसरी तरफ स्व. रूपाराम द्वारा अपने पोत्र नरेश के नाम वादग्रस्त भूमि का किया गया वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 को सही होना बतलाते है। जो एक दूसरे के विरोधाभासी है। जब कि वैधानिक रूप से अपने खातेदारी अधिकारों की बक्सीस प्रत्यर्थीगणानुसार की ही नही जानी चाहिये। वादग्रस्त खेताय पूर्ण रूप से अपीलार्थीगण की पैतृक सम्पति का भाग है।

{4}(III)–जहां तक वसीयतनामा 31.03.2014 का प्रश्न है, वह प्रत्यर्थीगण ने स्व. रूपाराम को डरा धमका कर उन की वृद्वावस्था व बीमारी का लाभ उठाकर नाबालिग पुत्र नरेश के नाम जरिये कुदरती वली माता लीलीदेवी के द्वारा करवाया है। जो प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। जिस को स्व. रूपाराम ने ही अपने जीवन काल में तारीख 27.07.15 को उक्त वसीयतनामा बाबत अवैध व शून्य होने की ऐलानिया घोषणा कर दी थी। जिस समय प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थीगण का परिवार मौका पर मौजूद था। इस कारण वसीयतनामा का अस्तित्व प्रारंभ से ही अवैधानिक था व रहा है। जिसको वैध व प्रभावी तरीके से निष्पादित व पंजीयन होना कहा जाना

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

पूर्णतः गलत है। उपरोक्त वसीयतनामा दिनांक 31.03.2014 बक्सीसनामों के आधार पर किया गया म्यूटेशन आदेश 24.09.15 पूर्ण रूप से गलत होने से निरस्तनीय है। उक्त वसीयतनामा के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा किये गये दीवानी वाद के साथ विविध प्रकरण में 05.10.15 को वादग्रस्त खेताय के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश सिविल न्यायालय द्वारा दिया गया था। जिसको दिनांक 07.10.17 को तहसीलदार नागौर को आदेश से अवगत करवा दिया गया। उसके बावजूद तहसीलदार नागौर द्वारा स्थगन आदेश के पूर्ववर्ती तारीख पेशी 24.09.15 को पत्रावली को पेशी पर जानबूझ कर मिलावट पूर्ण तरीके से फौतगी म्यूटेशन सं. 2088 दिनांक 24.08.15 को निरस्त कर उपरोक्त अवैधानिक फौतगी म्यूटेशन भरा गया। जिसमें अपनाई गई समस्त कार्यवाही मिलावटी थी व रही। जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थीगण की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र 21.09.15 को पेश किया था। परंतु तहसीलदार नागौर द्वारा प्रत्यर्थीगण से मिलावट कर लिये जाने के कारण अपीलार्थी की रिव्यू प्रार्थना पत्र को नजर अंदाज कर फोतगी म्यूटेशन तारीख 24.08.15 गलत रूप से निरस्त किया। जबकि उपरोक्त दिनांक को भरा गया म्यूटेशन संपूर्ण जांच पडताल के बाद तहसीलदार द्वारा भरा गया था। जिस कारण उपरोक्त आदेश के बाद जो रिव्यू आदेश दिनांक 24.09.15 को तहसीलदार द्वारा पारित किया गया। वह अवैधानिक था व रहा। जिसको अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपील मे चुनौती दी गई है। जो रिव्यू आदेश अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे तथा म्यूटेशन सं. 2088 बाबत 24.8.15 को दिये गये आदेश को बहाल रखे जाने का आदेश उपरोक्त अपील के जरिये पारित किया जाना उचित व न्यायसंगत है। अपीलार्थीगण की ओर से अपील के पैरा में वसीयतनामा को स्व रूपाराम द्वारा चुनौती देने बाबत स्पष्ट तथ्य अंकित किये है। इस कारण अपीलार्थीगण की अपील किसी भी रूप में निरस्त किये जाने योग्य न होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जावे।

{4}(IV)–जहां तक अपीलार्थीगण द्वारा वसीयतनामा को सिविल न्यायायल में चुनौती देना, जिस हेतु वाद पत्र पेश करना सही है तथा उपरोक्त वाद को निरस्त कर दिया गया। अपूर्ण तथ्य अंकित किये गये है। जबकि उपरोक्त वाद के सिविल निर्णय की अपील अपीलार्थीगण द्वारा अपर जिला न्यायाधीश नागौर के यहाँ अविलंब पेश कर दी गई। जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिस की पूर्ण जानकारी प्रत्यर्थीगण को है। इस कारण सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम निर्णय न होकर उस पर अंतिम फैसला अपील न्यायालय द्वारा होना शेष है। यह गलत है कि अपीलार्थीगण का नाम फौतगी नामान्तरकरण में विधिक भूल से भर दिया गया हो। यह गलत है कि ऐसे विधिक भूल को रिव्यू आदेश से निरस्त किया गया हो। यह गलत है कि रिव्यू आदेश के विरूद्व अपीलार्थीगण को उपरोक्त अपील पेश करने का अधिकार नही है। यह गलत है कि उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थीगण द्वारा मात्र निगरानी की जाना ही कानूनन वैध हो। उपरोक्त आधार जो प्रत्यर्थीगण द्वारा लिये गये है। पूर्णतः गलत है। इस कारण भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार फरमाई जावे।

{4}(V)–प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व वाद जो पेश किया जाना बतलाया गया है। वह मात्र बदयान्ति पूर्ण तरीके से पेश किया गया है। जो बाद विचारण स्वतः खारिज होगा तथा अपीलार्थीगण के विरूद्व जो मारपीट करने के आरोप लगाये गये है। वह मात्र कपोल कल्पित कहानी को बताते हुए मात्र अपीलार्थीगण पर पुलिस से मिलावट से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी है। जिस का कोई संबंध इस अपील से नही है। न ऐसे झूठे फरजी वाद या रिपोर्ट से वादग्रस्त खेताय की भूमि स्व रूपाराम की स्व अर्जित भूमि बन गई हो, कहा जाना उचित व न्यायसंगत ही है। जहां तक वसीयतनामा का प्रश्न है, सिविल न्यायालय से स्वयं प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त वसीयतनामा को वैधानिक होना प्रमाणित नही करवाया है। जिस के आधार पर भी प्रत्यर्थीगण की वादग्रस्त खेताय के बाबत फौतगी म्यूटेशन सही रूप से भरा गया हो प्रमाणित नही होता है। इस कारण अपीलार्थीगण की उपरोक्त अपील स्वीकार की जाकर रिव्यू प्रकरण सं. 8/15 में पारित आदेश दिनांक 24.09.15 को निरस्त फरमाया जावे तथा म्यूटेशन सं. 2088 दिनांक 24.08.15 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण से उपरोक्त अपील का खर्चा व हर्जा अपीलार्थीगण को दिलवाया जावे व प्रत्यर्थीगण की लिखित बहस को अस्वीकार कर अपील में उल्लेखित तथ्योनुसार अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

{5}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण संख्या 2088 दिनांक 24.08.15 स्व. रूपाराम के वारिसान के नाम से भरा गया। जिसे उजरदार नरेश के प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की सुनवाई कर

अपर कलक्टर, नागौर

दिनांक 24.09.15 को पूर्व आदेश दिनांक 24.08.15 को पुनरावलोकन कर नामान्तरकरण खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

{6}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 2088 वाके नागौर के खसरा नं. 22 व 57 के खातेदार रूपा पुत्र फकीरा माली फौत होने पर उसके वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण दिनांक 24.08.15 को स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात् उजरदार नरेश पुत्र चेनाराम (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) की आपत्ति पर पूर्व आदेश दिनांक 24.08.15 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 24.09.15 को पारित किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 22.09.15 को पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 24.09.15 को मुकर्रर की गई। जबकि दिनांक 24.09.15 को पर्याप्त सुनवाई के ही आदेश जैर अपील पारित किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अपीलांट्स द्वारा दिनांक 21.09.15 को सुनवाई व शहादत सबूत प्रस्तुत करने का अवसर चाहते हुए भी उन्हे बिना कोई अवसर दिये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यहां तक कि अपीलांट्स द्वारा दिनांक 21.09.15 को आपत्ति पत्र के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र राजनैतिक बल से पेश होना व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की उम्मीद नही होने का कथन करने के बावजूद भी आदेश जैर अपील अत्यन्त जल्दबाजी में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का आराजी में हिस्सा निहित होते हुए भी उन्हे सुने बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया जाना प्रतीत होता है। भूमि पैतृक है या नही, इसकी जांच का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नही है। इससे स्पष्ट नही होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का विवेचन किया गया हो। पैतृक सम्पत्ति में सभी वारिसान के जन्म से ही अधिकार सृजित होते है। पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट नही होता है कि नामान्तरकरण जैर अपील करने से पूर्व अपीलांट्स को पूर्व सूचना देते हुए शहादत, सबूत, जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिया गया हो। ऐसा प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{7}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 08/2015 सरकार बनाम नरेश में पारित पुनरावलोकन आदेश दिनांक 24.09.2015 खारिज किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षों को नोटिस देकर उपरोक्त विवेचनानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करे।

{8}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/9/18

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान